

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2011..

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो शेखर आशिद अली न. पा. प्र. शाजापुर 2 वर्तमान धारित पद उप यंत्री

3. वर्तमान वेतन 40352-00 अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2012

उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हों।	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
1. तुळुम चंद्रपुर (महाराष्ट्र)	—	—	30.00 लाख (अनुमानित)	पैजिक मकान (खामूहिक शामलाती)	—	मकान में दोनो भाई परिवार सहित निवास कर रहे हैं।	—
2. मांडन रोडके पास धार (म. प्र.)	—	प्लार (2400 वर्ग फीट)	4.60 लाख (अनुमानित)	स्वयं के नाम का	न. पा. प्र. धार (म. प्र.) द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया गया 25-8-90	खाली है।	—
3. प्रांड खेडी इटासी (म. प्र.)	—	0.30 एकड़ (असिंचित खेत)	3.00 लाख (अनुमानित)	स्वयं के नाम का	7-1-2003	खाली है।	—

• जहा लागू न हो काट दीजिए।

•• ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

••• इसमें अल्पकालिन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर 

नाम शेखर आशिद अली  
पर उप यंत्री  
न. पा. प्र. शाजापुर (म. प्र.)